भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND C 817568

पत्रांक 3/कृ.बि.कृ.वि.वि. -04/09 (2009-10) 1503 दिनांक 21.05.2014 के आलोक में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरान्त झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु विभागीय कृषि प्रक्षेत्र माण्डू में पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान परिसर, आई.सी.ए.आर. परिसर, पोस्ट बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना (वास्ते सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली) को निःशुल्क कुल 19.04 एकड़ भूमि हस्तान्तरण के संबंध में एकरारनामा।

भूमि की विवरणी

जिला- रामगढ़, प्रखंड- माण्डू

क्र. सं.	मौजा	प्रखंड	थाना	जिला	खाता सं.	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़ में)
1	माण्डू	माण्डू	114	रामगढ़	48	प्लॉट न0 228, 229, 230,237, 242, 206	6.98
					71	प्लॉट न0 207, 221, 222,223, 224, 277, 3153	2.87
					95	प्लॉट न0 225, 226, 3156, 3157, 3163	2.38
					28	प्लॉट न0 231, 232, 3124, 3156, 3162, 220, 3195	6.03
					20	प्लॉट न0 208	0.78
						कुल रकबा	19.04

DIRECTOR

... for Eastern Region

1195 02/08/14

Principal Scientist Head

Ranchi

100

<u>शर्त्तें:</u>

1. पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान परिसर, आई.सी.ए.आर. परिसर, पोस्ट-बिहार वेटरिनरी कॉलेज, पटना द्वारा संदर्भित "कृषि विज्ञान केन्द्र" की स्थापना एवं उसके संचालन हेतु निम्नवर्णित क्रिया-कलाप, स्टाफिंग पैटर्न आधारभूत संरचना आदि कार्य कराये जायेंगे।

क. कृषि एवं संलग्निक क्षेत्र से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

ख. खाद्यान्न उत्पादन उद्यानिक, पशुचारा अन्य वन उत्पादन आदि से संबंधित तकनीकों का ऑन फार्म ट्रायल।

ग. मुख्य खाद्यान्न, तेलहन, दलहन, वन उपज सहित अन्य कृषि प्रक्षेत्रों से संबंधित स्रोतों का फ्रन्ट लाइन का प्रत्यक्षण ।

घ. क्षेत्रीय प्रशिक्षण पदाधिकारी का सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीज एवं पौधा सामग्री का बिक्री कार्य ।

2. ऊपर वर्णित उपलब्ध भूमि का उपयोग मात्र कृषि विज्ञान केन्द्र एवं उससे संबंधित कार्यो के लिए ही किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में इसके अतिरिक्त कार्यो के लिए इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। स्पष्ट किया जाता है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है उस प्रयोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रयोजन हेतु उसका उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः कृषि एवं गन्ना विकास विभाग को वापस हो जायेगी।

जिला कृषि पदाधिकारी
हजारीबाग (?)

DIRECTOR
ICAR Research Complex For Eastern Region
Patna Camp at Ranchi

3. उक्त कृषि विज्ञान केन्द्र का स्थाना हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली संदर्भित कृषि प्रक्षेत्र की भूमि स्वामित्व कृषि विभाग का बना रहेगा एवं यूजर राईट (के.वी.के. हेतु) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के जिम्मे रहेगा।

4. कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना किसी कारणवश बंद हो जाता है उसकी स्थापना हेतु हस्तांतरित भूमि पर स्थापित सभी भवन एवं संरचनायें, सुविधायें, साज-सज्जा सहित कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड सरकार को स्वतः वापस लौट जाएगी।

5. लीज की अवधि नवीकरण विकल्प के साथ 30 वर्ष की होगी।

6. एकरारनामा करने के 12 महीने के अंदर स्थल पर अपना कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा 60 महीने में जिस कार्य हेतु भूमि लीज पर दी जा रही है, उस कार्य को पूर्ण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ नहीं करने एवं पूरा नहीं करने पर लीज रद्द की जा सकेगी एवं भूमि स्वतः कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड सरकार को वापस हो जाएगी।

7. लीज पर दी गयी भूमि पर लीजधारक द्वारा Third Party right create नहीं किया जाएगा।

8. लीज बन्दोबस्त/स्थायी बन्दोबस्त की भूमि अहस्तांतरणीय होगी एवं इसकी Sublease नहीं की जाएगी। यदि किसी परिस्थितिवश भूमि की सबलीज की जानी आवश्यक हो एवं भूमि के प्रयोजन में कोई बदलाव नहीं हो तो, राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो के अधीन सबलीज की अनुमति दी जा

DIRECTOR
ICAR Research Complex For Eastern Region
Patna Camp at Ranchi

सकेगी । सबलीज के लिए लगाई गई शर्त निजी व्यक्ति/कंपनी, बोर्ड, प्राधिकार एवं सरकारी उपक्रमों इत्यादि पर बाध्यकारी होगी।

9. लीज शर्त्तों का उल्लंघन होने अथवा लीज का प्रयोजन बदल जाने पर प्रसंगाधीन भूमि की लीज बन्दोबस्ती/स्थायी बन्दोबस्ती राज्य सरकार द्वारा रद्द कर दी जायेगी एवं लीज का नवीकरण नहीं किया जायेगा।

10. लीज अवधि के दौरान लीज धारक द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना भूमि का हस्तांतरण अन्य किसी व्यक्ति/संस्था/कंपनी के साथ किया गया है उसे सरकारी भूमि पर Tresspasser समझा जायेगा एवं सरकारी भूमि को खाली कराने हेतु कार्रवाई की जायेगी।

11. लीजधारक को लीज समाप्ति की अवधि के एक वर्ष पूर्व नवीकरण हेतु आवेदन सम्बंधित उपायुक्त, रामगढ़, को समर्पित करना होगा, जिनके द्वारा कृषि एवं गन्ना विकास विभाग से विधिवत सहमति प्राप्त करते हुए लीज का ससमय विधिवत नवीकरण सुनिश्चित कराया जायेगा। निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जायेगा कि लीजधारक लीज के नवीकरण के इच्छुक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सम्बंधित उपायुक्त द्वारा लीजधाराक को सुनवाई का मौका देते हुए भूमि को वापस लेने हेतु कार्रवाई की जायेगी। यदि लीजधारक लीज अवधि के दौरान लीज की शर्त्तों का उल्लंघन करता है तो सम्बंधित उपायुक्त/सरकार स्वतः लीजधारक को सुनवाई का मौका देकर लीज विखंडन हेतु कार्रवाई कर सकेंगे।

जिला कृषि पदाधिकारी
हजारीबाग/रामगढ़

DIRECTOR
ICAR Research Complex For Eastern Region
Patna Camp at Ranchi

12. अन्य सभी शर्त्तें इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप लागू होंगी।

जमीन का हस्तांतरण किया गया।
पट्टाकर्त्ता का हस्ताक्षर

07/08/14

जिला कृषि पदाधिकारी, रामगढ़
जिला कृषि पदाधिकारी
हजारीबाग/रामगढ़

जमीन का कब्जा प्राप्त किया।
पट्टाग्रहिता का हस्ताक्षर

07/08/2014
DIRECTOR
ICAR Research Complex For Eastern Region
Patna Camp at Ranchi

निदेशक
पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का
अनुसंधान परिसर, आई.सी.ए.आर. परिसर,
पो.-बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना-14, बिहार
(वास्ते सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली)

7/8/14

एडिशनल कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर
रामगढ़ (झारखंड)
अपर समाहर्ता
रामगढ़

07.08.14
C.O.

07.8.2014

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
रामगढ़

गवाहों के हस्ताक्षर

1. 07.08.2014
(Dr. A. K. Singh)
Principal Scientist & Head
ICAR-RCER, RC, Ranchi

2. 07.08.14
(KULESH KUMAR SINHA)
Project Director, ATMA, RAMGARH

3. (Y. N. Pathak)
Asstt. Chief Tech. Officer
ICAR RCER RC, Ranchi

मौजा नाम: माण्डू
चादर नं: 3
थाना नं: ११४
थाना - माण्डू
परगना - जगेसर
जिला - हजारीबाग
वर्तमान जिला - रामगढ़
पैमाना अविभाग की मील १६ इंच
संकेत — ■

कृषि विज्ञान केन्द्र
माण्डू का राजस्व
नक्शा
जिला - रामगढ़ (झारखण्ड)

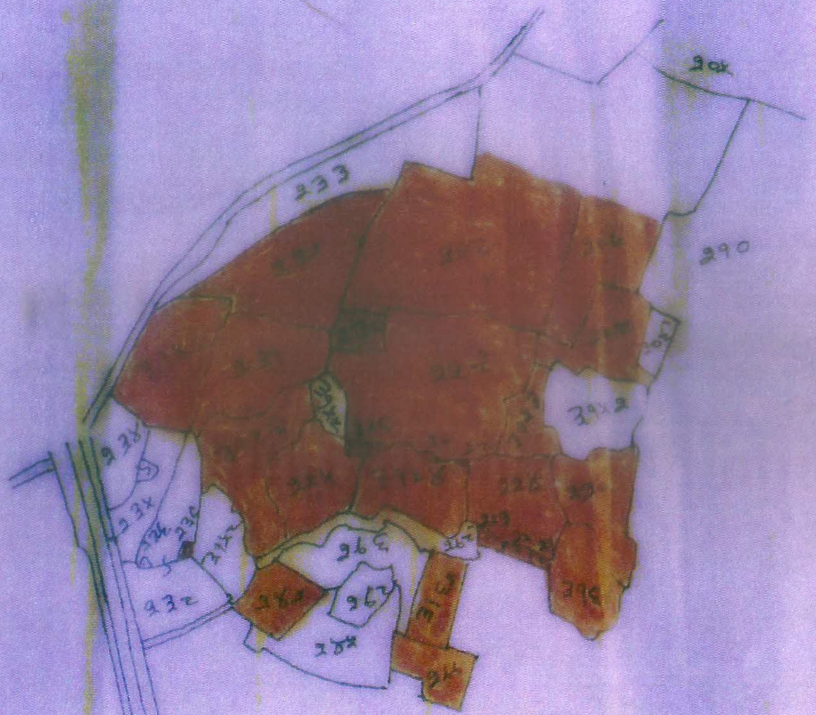

खाता	प्लॉट	रकबा
४८	२२८, २२९, २३०, २३१, २४२, २०६	६.५८
६१	२०६, २२१, २२२, २२३, २२४, २६६, ३१५३	१.८७
६५	२२५, २२६, ~~३१५६~~ ३१५६, ३१६३	२.३८
७८	२३१, २३२, ~~३१५६~~ ३१५६, ३१६१, २२०, ~~३१६५~~ ३१६५	६.०३
७०	२०८	०.६८
		१६.०४ ए

नोट :—
प्रधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिषद् अनुसंधान केन्द्र प्लान्डू राँची के पत्रांक 34… दिनांक 24/4/2017 द्वारा प्राप्त 19.04 ए० भूमि की सूची के आधार पर नक्शा बनाया गया है।

Details of Total Land Available with the Institute I/C its constituent units i.e. Regional Station/Research Station / Research Farm/KVK's

1. **Name of the Institute:** **ICAR Research Complex for Eastern Region, Patna.**
2. **Location:** **KVK Ramgarh (Jharkhand)**

Note: 1 Acre = 4046.86m²

Name of the unit place of land*	Area of land (m^2)		Khasra No./ Plot No as per revenue		Ownership Description as per revenue record	Possession as per revenue /municipal record	Whether land is freehold or leasehold	Whether title is clear in favour of ICAR or not	Is it free from encroachment /litigation? If not, details be given	Remarks
1	2		3		4	5	6	7	8	9
Village: Mandu	**Acre**	**M^2**	Khasra No.	Plot No.	Secretary, ICAR	Secretary, ICAR (07/08/2014)	Leasehold (30 Years)	Yes	Yes	
	6.98	28247.08	48	228						
				229						
				230						
				237						
				242						
				206						
	2.87	11614.48	71	207						
				221						
				222						
				223						
				224						
				277						
				3153						
	2.38	9631.52	95	225						
				226						
				3157						
				3163						
	6.03	24402.56	28	231						

				232						
				3124						
				3156						
				3162						
				220						
				3195						
				3165						
	0.78	5165.55	20	208						
	19.04	**77052.21**								

*Information from Institute and its constituent units are required to be made separately. Complete revenue map certified by Patwari or equivalent revenue officials of the location shall also be attached. If the lands of the Institute or Constituents units are not contiguous and scattered at different locations, then location wise information shall be furnished as per the above proforma.

Signature 05/010

Director of the Institute